ग्राम पंचायत, कोटी पधोग, विकास खण्ड राजगढ़ ज़िला सिरमौर के लेखाओं का अंकेक्षण व निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 1.04.2015 से 31.03.2018
भाग-I

1 **प्रस्तावना (क)**:-

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव, पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या पीसीएचएचसी-(5) सी(15) एलएडी/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओ के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश को सौंपे जाने के दृष्टिगत , ग्राम पंचायत , कोटी पधोग, विकास खण्ड राजगढ़ , ज़िला सिरमौर के अवधि 01/04/2015 से 31/03/2018 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत मे निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत थे;

प्रधान:-

क्रमांक	प्रधान का नाम नाम	कार्यकाल
1	श्री अरुण मेहता	23.01.2011 से 22.01.2016तक
2	श्री हरी दास	23.01.2016 से31.3.18 तक

सचिव:-

क्रमांक	सचिव का नाम	कार्यकाल
1	श्री इन्दर सिंह	01.04.2015 से 04.07.2016
2	श्री रमेश चन्द	05.07.2016 से 17.02.2017
3	श्री इन्दर सिंह	18.02.2017 से31.3.18 तक

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार :- ग्राम पंचायत, कोटी पधोग के अवधि 01/04/2015 से 31/03/2018 के लेखों के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:-

क्रमांक	अनियमितता का संक्षिप्त सार	पैरा नं	राशि (लाखों में)
1	रोकड़ बही व बैंक खातों के अन्तिम शेष में अन्तर	5	0.69
2	गृहकर राजस्व की वसूली हेतु शेष राशि	7(i)	0.42
3	स्वः स्त्रोत से प्राप्त आय का सम्भावित दुर्विनियोजन	7(ii)	0.09
4	अनुदान की राशी का उपयोग न करना	8	30.92

5	औपचारिकतायें पूर्ण किये बिना ही सामग्री का क्रय करना	**9**	5.36
6	जे.सी.बी चार्जिज का अनियमित भुगतान	11(i)	4.89
7	निर्माण कार्यो के मूल्यांकन अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना	12(i)	62.86
8	तकनीकी प्राधिकारी के मुल्यांकन से अधिक निर्माण सामग्री का क्रय	12(ii)	0.79
9	रोकड़ बही में दर्ज व्यय तथा ऑनलाइन भुगतान में भारी अन्तर	13(i)	1.94
10	मनरेगा की रोकड़ बही का संधारण करके आय/व्यय दर्ज न करना	13(ii)	5.71
11	सरकारी दिशा-निर्देशों के विपरीत सामग्री का क्रय करना	14(i)	1.50
12	GR {Goods Receipt Note} पर दर्शाया गया अनियमित क्रय	14(ii)	4.51
13	बिना प्रयोजन के बैंक से आहरण राशि का सम्भावित दुर्विनियोजन	15	0.74

भाग -दो

2 वर्तमान अंकेक्षण:-

ग्राम पंचायत कोटी पधोग, विकास खण्ड राजगढ़, ज़िला सिरमौर के अवधि 01/04/2015 से 31/03/2018 के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री राकेश कुमार चौहान, अनुभाग अधिकारी द्वारा अवधि **09.04.2018** से **20.04.2018** तक के दौरान ग्राम पंचायत कोटी पधोग के कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए निम्नलिखित मासों का चयन किया गया, जिसके परिणाम आगामी पैराग्राफों मे समाविष्ट है

वर्ष	आय माह	व्यय माह
2015-16	01/2016	08/2015
2016-17	06/2016	03/2017
2017-18	09/2017	02/2018

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूप पंचायत के नियंत्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति मे अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्क:-

ग्राम पंचायत कोटी पधोग, विकास खण्ड राजगढ़, ज़िला सिरमौर के अवधि 01/04/2015 से 31/03/2018 के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹6000 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या जी.पी.(आडिट)/राजगढ़/ 2018-19-1 दिनांक 20.04.2018 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत कोटी पधोग से अनुरोध किया गया है।

4 वित्तीय स्थिति:-

ग्राम पंचायत कोटी पधोग द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायतकी अवधि 01/04/2015 से 31/03/2018 की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थी:-

(i) स्व स्त्रोत:- ग्राम पंचायत कोटी पधोग के अवधि 01/4/2015 से 31/3/2018 स्व: स्त्रोतों की वित्तीय स्थिति का विवरण **{परिशिष्ट-1}**

वर्ष	अथ शेष (₹)	प्राप्ति (₹)	योग (₹)	व्यय (₹)	अन्त शेष (₹)
2015-16	------	83004.00	83004.00	8467.18	74536.82
2016-17	74536.82	82860.80	157397.62	39546.00	117851.62
2017-18	117851.62	105660.00	223511.62	1503.10	222008.52

नोट:- सचिव ग्राम पंचायत द्वारा स्वयं के स्त्रोत से प्राप्त आय-व्यय को भी सामान्य निधि में ही जमा करवाया गया है तथा स्वयं के स्त्रोत का अलग से खाता न होने के कारण प्रारम्भिक शेष ज्ञात नहीं किया जा सका है, जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए क्योंकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखेंसंकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4 के अनुसार स्वयं के स्त्रोत की आय को पृथक से खाता खोलकर खाता-"क" में रखे जाने का प्रावधान है | अतभविष्य में स्वयं के स्त्रोत से प्राप्त होने वाली आय व व्यय को पृथक से खाता खोलकर उसमे आय को जमा किया जाना व उसी खाते से व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जाये

(ii). अनुदान:- ग्राम पंचायत कोटी पधोग के अवधि 01/4/2015 से 31/3/2018 की अनुदानों की वितीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **{परिशिष्ट-2A}** मे भी दिया गया है- **{परिशिष्ट-2}**

वर्ष	अथ शेष (₹)	प्राप्ति (₹)	योग (₹)	व्यय (₹)	अन्त शेष (₹)
2015-16	2292888.60	2529775.00	4822663.60	3487397.00	1335266.60
2016-17	1335266.60	4575311.00	5910577.60	3164965.00	2745612.60
2017-18	2745612.60	5299468.00	8045080.60	4953575.00	3091505.00

नोट:- रोकड़ बही में मासांत/वर्षांत प्रारम्भिक व अंतिम शेष नहीं दर्शाए गए है अतः बैंक पास बुकों के दिनांक 01/04/1 5 के प्राम्भिक शेष को ही वितीय स्थिति का दिनांक 01/04/15 का प्रारम्भिक शेष(opening balance) लिया गया है।

5 **रोकड़ बही का बैंक खातों के अन्तिम शेष में ₹0.69 लाख का अन्तरः–**

रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था। जोकि अनियमित है क्योंकि हि० प्र० पंचायती राज (वित्त बजट लेखें संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) व 10(1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ बही का बैंक खातों के साथ मिलान करना अनिवार्य था। परिणामतः रोकड़ बही **(वितीय स्थिति)** तथा बैंक के शेषों में दिनांक 31/03/2018 को निम्नविवरणानुसार **₹69,379** का अन्तर पाया गया, जिसका मिलान सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए तथा भविष्य में पंचायत की रोकड़ बहियों का नियमानुसार बैंक खातों के साथ मिलान प्रतिमाह करना भी सुनिश्चित किया जाए।

क्रमांक	**विवरण**	**राशि (₹)**	**परिशिष्ट**
1.	स्वः स्त्रोत	222008.52	1
2.	अनुदान	3091505.60	2
3.	कुल शेष राशि	3313514.12	3
4.	विभिन्न बैंकों में जमा राशि	3244135.12	4
5.	**कुल अन्तर**	**69379.00**	5

31.03.218 को विभिन्न खातों में जमा राशि का ब्यौरा {परिशिष्ट-4}

अनुदान	**बैंक का नाम**	**बचत खाता नं**	**31.03.2018 को शेष (₹)**
सामान्य निधि	HPSCB, Rajgarh	56310100017	2010775.12
14th FC	------do------	56310123303	951293.00
BRGF	------do------	14017	56243.00
IAY	------do------	56310100167	41512.00
PMAGY	SBOP, Rajgarh	65194435130	184312.00
		Total	**3244135.12**

(i) रोकड़ बही तथा खाताबही का उचित संधारण करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम, 2002 के नियम 7 व 29 के अंतर्गत पंचायत द्वारा संधारित की गई **रोकड़ बहियां** तथा **खाताबहियों** का संधारण उचित तरीके से नहीं किया जा रहा है क्योंकि इसमें न तो कोई इति शेष है और न ही कोई अंतिम शेष ही दर्शाया गया है तथा ऐसी स्थिति में बैंक से किए जा रहे लेन देन पर कोई नियंत्रण नही रह जाता और

रोकड़ बही, बैंक में पंचायत के खाते में मौजूद शेष राशि के बारे में कोई विशवसनीय सूचना उपलब्ध नहीं करवाती | परिणामतः पंचायत द्वारा बनाई जा रही आय-व्यय तालिका तथा सन्तुलनपत्र की मदें भी विशवसनीय नहीं रह जाती तथा इनमें अनाधिकृत समायोजन की सम्भावना सेभी इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः रोकड़ बही एवं खाता बहियों का नियमानुसार संधारण सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

6 स्वयं के स्त्रोत से आय की नियमित/पूर्ण वसूली न करनाः–

ग्राम पंचायतको गत तीन वर्षो में स्वयं के स्त्रोत से प्राप्त आय के अवलोकन से ज्ञात होता है कि ग्राम पंचायत को स्वयं के स्त्रोत से बहुत ही कम आय प्राप्त हो रही है जिसका एक प्रमुख कारण पंचायत द्वारा पिछले कई वर्षो से गृहकर व अन्य करों की दरें ही निर्धारित न करना है, क्योकि उक्त दरों के निर्धारण से सम्बंधित कोई भी अभिलेख अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत नहीं किये गए| यद्यपि, सचिव ग्राम पंचायत कोटी पधोग पत्र क्रमांक:GP/Koti Padhog/2018-19-03 दिनांक 20.04.2018 द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान विभिन्न करों व शुल्कों की वसूली निम्नलिखित दरों से कीइ्रदर्शाई गई है;

क्र0सं0	आय का साधन	दरें	विवरण
1	House Tax	50/-	2015-16
		50/-	2016-17
		50/-	2017-18
2	Shop Rent	---------	---------
3	Land Revenue	As per Govt. approved rates	4 revenue villages, but no receipt during audit period
4	Marriage	10/-	3 Oct,2016 and thereafter
	Rregistration fees	200/-**{BPL 25/-}**	Regst. within 30 days
		400/-**{BPL 50/-}**	Regst. within 90 days
5	Certificate fee	10/-	---------
6	Liquor cess	As per govt. rates	---------
7	Any other Receipt	---------	NIL

अतः पंचायत निधि को प्राप्त होने वाली नियमित आय की वसूली दरों को निर्धारित न करने बारे पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा भविष्य में समय रहते इन दरों का नियमानुसार निर्धारण करके तदानुसार ही करों/शुल्कों की वसूली की जानी सुनिश्चित की जाए |

7 स्वः स्त्रोत से प्राप्त होने वाली आय की बकाया राशि वसूली हेतु शेषः–

(i) गृहकर की ₹0.42 लाख की शेष वसूली:-

अंकेक्षण अधियाचना संख्या : जी.पी.ऑडिट/राजगढ़/कोटी पधोग/2018-19-03 दिनांक 09/04/2018 के प्रतिउत्तर में सचिव ग्राम पंचायत कोटी पधोग ने पत्र क्रमांक:GP/Koti Padhog/2018-19-03 दिनांक 20/04/2018 द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनानुसार दिनांक 31/03/2018 को निम्न विवरणानुसार गृहकर की ₹42,350 वसूली योग्य शेष थी, जिसकी शीघ्र-अतिशीघ्र वसूली सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए|

वर्ष	कुल परिवार	वार्षिक दर (₹)	कुल कर (₹)	प्राप्त राशि (₹)	वसूली योग्य शेष राशि (₹)
01.04.15	House Tax due as on 31.03.2015				29500/-
2015-16	410	50/-	20500/-	50000/-	------
2016-17	417	50/-	20850/-	------	20850/-
2017-18	430	50/-	21500/-	------	42350/-
		कुल योग			**92700**

सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा आय की वसूली से सम्बन्धित “मांग एंवम वसूली पंजी" का संधारण नहीं किया जा रहा है ऐसे में गृहकर शुल्क, गुच्छी पर प्राप्त होने वाली royality तथा पंचायत को अन्य करों/शुल्कों से प्राप्त होने वाली आय का सही-सही पता नहीं लगाया जा सका| अतः पंचायत सचिव इस सम्बन्ध में अपने स्तर पर अभिलेख की पुनः पूर्ण छानबीन उपरान्त वास्तविक वसूली योग्य राशि का आंकलन करते हुए सम्बन्धित से उसकी वसूली करके पंचायत निधि में जमा करवाया जाना सुनिश्चित करे तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये | इसके अतिरिक्त भविष्य में “मांग एंवम वसूली पंजी ” का संधारण भी किया जाये ताकि पंचायत को देय सही राशि का तुरन्त बोध हो सके तथा पंचायत को आय की हानि न हो |

(ii) स्वः स्त्रोत से प्राप्त ₹0.09 लाख की राशि का सम्भावित दुर्विनियोजन:-

अंकेक्षण के दौरान पंचायत को गृहकर की वसूली से निम्न विवरण अनुसार प्राप्त **₹8970** की राशि पंचायत निधि में जमा नहीं की गई थी जिसके कारण उक्त राशि का दुर्विनियोजन किया गया प्रतीत होता है, जिस बारे पूर्ण छानबीन करके वस्तु स्थिति स्पष्ट की जाए तथा उक्त राशि को सम्बन्धित से नियमानुसार दण्ड ब्याज सहित वसूली सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए|

रसीद संख्या	दिनांक	वसूली गई राशि का विवरण	कुल राशि (₹)
2399	18.01.16	96 रसीदें @ 205/-प्रति	19680/-
		4 रसीदें @ 200/- प्रति	800/-
3048	20.01.16	83 रसीदें @ 205/-प्रति	17015/-
		17 रसीदें @ 200/- प्रति	3400/-
3049	16.01.16	15 रसीदें @ 205/-प्रति	3075/-
		75 रसीदें @ 200/- प्रति	15000/-
		उपरोक्त रसीदों द्वारा गृहकर की कुल एकत्रित की गई राशि	58970/-
		22.01.2016 को निधि की रोकड़ बही/बैंक में जमा की गई राशि	50000/-
		गृहकर की कम जमा की गई राशि	**8970/-**

8 अनुदान की ₹30.92 लाख का उपयोग न करना:-

पंचायत सचिव द्वारा उपलब्ध कारवाई गई सूचना **(परिशिष्ट-2)** के अनुसार दिनांक 31/03/2018 तक अनुदानों से प्राप्त **₹30,91,505** उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना अपेक्षित था, जबकि पंचायत द्वारा अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा। अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदान के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त कर के उक्त राशि को व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जाये अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण सम्बंधित संस्था को किया जाये |

9 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ₹5.36 लाख की स्टोर/स्टॉक सामग्री का क्रय करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) में स्टाक/स्टोर का क्रय करने की औपचिरिकताएं प्रावधिक है जिसके अनुसार₹**1000** से अधिक तथा ₹**50,000** से कम राशि के क्रय हेतु **कोटेशन्स (Quotations)** आमंत्रित किया जाना तथा ₹**50,000** से अधिक राशि के क्रय हेतु **निविदा आमंत्रित (Tenders)** किए जाने का प्रावधान है, ताकि ग्राम पंचायत को प्रतियोगी मूल्यों का लाभ प्राप्त हो सके | इसी तरह नियम 67 (3) (a) के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा प्रधान, उप प्रधान, ग्राम पंचायत द्वारा

नामित दो वार्ड मेम्बर्स तथा सचिव को सम्मिलित करके एक उप समिति का गठन करके समिति द्वारा **निविदा/कोटेशन्स** आमंत्रित करने के उपरान्त ही क्रय किए जाने का प्रावधान है परन्तु अंकेक्षण में पाया गया कि ग्राम पंचायत ने बिना उप समिति का गठन किए तथा नियमानुसार कोटेशन/निविदाएं आमंत्रित किए बिना ही **परिशिष्ट–6** में वर्णित ₹535650 की स्टोर/स्टॉक सामग्री का क्रय किया है, जोकि उक्त नियमों के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित है। अतः वर्णित अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की कार्योतर स्वीकृति प्राप्त कर नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में प्रत्येक व्यय/क्रय नियमानुसार निर्धारित औपचारिकताओं को पूर्ण करने उपरान्त ही किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

10 क्रय स्टोर/स्टॉक सामग्री ₹5.36 लाख का भण्डार रजिस्टरों में प्रविष्टि न करना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्, बजट, लेखों, संकर्म कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 69 के अनुसार पंचायत द्वारा प्राप्त/क्रय की गई मदों को स्टॉक रजिस्टर में दर्ज करना अपेक्षित है परन्तु ग्राम पंचायत के अभिलेखों का अवलोकन करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा विभिन्न विकास कार्यों हेतु क्रय की गई विभिन्न मदों की स्टॉक प्रविष्टियाँ निर्धारित स्टॉक रजिस्टरों में दर्ज नहीं की जा रही है । जोकि अनियमित है तथा ऐसे में स्टॉक के दुर्विनियोजन की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः क्रय की गई मदों की स्टॉक प्रविष्टियाँ सम्बन्धित स्टॉक रजिस्टर में दर्ज न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए क्रय की गई प्रत्येक मद की स्टॉक प्रविष्टियाँ खपत विवरण सहित स्टॉक रजिस्टर में दर्ज करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए, तथा भविष्य में स्टोर/स्टॉक रजिस्टरों का रख-रखाव नियमानुसार किया जाना सुनिश्चित किया जाए | अंकेक्षण अवधि में ₹535650 क्रय की गई कुछ मदें जिन्हें स्टोर/स्टॉक रजिस्टर में दर्ज नहीं किया गया था का ब्यौरा संलग्न **{परिशिष्ट-6}** में दिया गया है |

11 जे.सी.बी (HIRE) चार्जिज का ₹4.89 लाख का अनियमित भुगतान:-

(i). अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकास कार्यों हेतु जे.सी.बी को प्रति घंटे के आधार पर किराये पर लेकर **निम्नतालिकानुसार ₹4,88,800 {परिशिष्ट-7}** का भुगतान निविदाएं आमन्त्रित किये बिना ही किया गया था, जोकि पैरा संख्या:9 में वर्णित नियमों के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित है, जिस बारे स्थिति स्पष्ट करते हुए वर्णित अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी से नियमित करवाया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ii). इसके अतिरिक्त जे.सी.बी द्वारा करवाए गए कार्यों से सम्बन्धित माप पुस्तिकाएं सम्बन्धित कनिष्ट अभियंता/तकनीकी सहायक्द्वारा अंकेक्षण के दौरान आवश्यक जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं की गई, जिस बारे औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा उक्त अभिलेख आगामी अंकेक्षण के दौरान अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जा|ए

(iii). इसी तरह विभिन्न ठेकदारों को जे.सी.बी **(HIRE)** चार्जिज का भुगतान करते समय कोई भी संवैधानिक कटौतीयां जैसे **आयकर, सेल्स टैक्स, लेबर सेस तथा प्रतिभूति राशि इत्यादि** की कटौती नहीं की गई है , जबकि नियमानुसार सम्बंधित ठेकेदारों से संवैधानिक कटौतीयां की जानी वांच्छित थी | अतः उक्त कटोतियों को सम्बंधित बिल से न करने बारे औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार सभी संवैधानिक कटौतीयां करने के उपरान्त ही भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाए|

12 **निर्माण कार्यों से सम्बन्धित** अनियमितताएंः–

(i). निर्माण कार्यो पर खर्च ₹62.86 लाख **की राशि के तकनीकी मूल्यांकन से सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत न करना**

अंकेक्षण के दौरान अंकेक्षण अधियाचना संख्या:GP(Audit)/Rajgarh/Koti Padhog/2018-19-2 दिनांक 09/04/2018 के प्रत्युत्तर में सचिव ग्राम पंचायत कोटी पधोग ने पत्र क्रमांक:GP/Koti Padhog/2018-19-02 दिनांक 20.04.2018 द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान विभिन्न विकास कार्यो पर खर्च किये गए₹**62,86,012** से सम्बन्धित प्राक्कलन अभिलेख, माप पुस्तिकाएं, मूल्यांकन शीट्स तथा उक्त कार्यो के पूर्ण होने से सम्बन्धित कोई भी अभिलेखअंकेक्षण को प्रस्तुत नहीं किए गए, जिनकी अनुपस्थिति में किए गए व्यय / भुगतान का सत्यापन अंकेक्षण में सम्भव न हो सका। अतः निम्न कार्यों पर दर्शाया गया व्यय भुगतान/ राशि का आहरण कार्यों के मूल्यांकन के बिना ही करना अनियमित होने के साथ-साथ संदिग्ध भी प्रतीत होता|है जिसका पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा अपेक्षित अभिलेख आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कियाजाना सुनिश्चित किया जाएः–

अनुदान	कुल भुगतान (₹)
GENERAL HEAD (Planning)	1603138/-/-
BRGF	940576/-
PMAGY	1011164/-
14th FC	183200/-
MGNREGA	2547934/-
Total:-	**6286012/-**

(ii) तकनीकी प्राधिकारी के मुल्यांकन से अधिक₹0.79 लाख की निर्माण सामग्री का क्रय करके अनियमित भुगतानः–

निर्माण कार्यों का चयनित आधार पर अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निम्नलिखित निर्माण कार्यों में तकनीकी प्राधिकारी के प्राक्कलन/मूल्यांकन से अधिक निर्माण सामग्री की मात्रा की खरीद कर निम्नतालिकानुसार **₹79,275** का भुगतान किया गया जोकि अनियमित है जिसे नियमानुसार या तो न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा अधिक भुगतान की राशि की उचित स्त्रोत से वसूली सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए

निर्माण सामग्री का नाम	**क्रय सामग्री की मात्रा/राशि**	**क्रय सामग्री की मूल्यांकित मात्रा**	**अधिक क्रय की गई मात्रा**	**क्रय दर (₹)**	**अधिक भुगतान/ व्यय (₹)**
PMAGY:-नि.पक्का रास्ता भागेश्वरी सड़क से काटल MB-324 पृष्ठ-78					
रेत	8.49 Cum	5.99 Cum	2.50 cum	2825/-	7063/-
मजदूरी	69000/-	49777/-	------	------	19223/-
PMAGY:- नि. पक्का रास्ता बगड़ पनोटी MB-324 पृष्ठ-71					
सीमेंट	50 बैग्स	40 बैग्स	10 बैग	380/-	3800/-
रेत	6.94 cum	4.27 cum	2.67 cum	2825/-	7543/-
मजदूरी	63400/-	35429/-	------	------	27971/-
PMAGY:- एक कमरा GPS बगड़ पनोटी MB-324 पृष्ठ-94-97					
बजरी	3.96 cum	2.49 cum	1.47 cum	3180/-	4675/-
सामान्य:- सामुदायिक चबूतरा कुफ्फर MB-324 पृष्ठ-66					
बजरी	2.83 cum	------	2.83 cum	3180/-	9000/-
राशि का अधिक आहरण/भुगतान					**79,275/-**

13 मनरेगा योजना के अंतर्गत किए गए व्यय से सम्बन्धित अनियमितताएँ:-

(i) रोकड़ बही में दर्ज राशी व् ऑनलाइन फाइनेंसियल स्टेटमेंन्ट्स के अनुसार किए गए ऑनलाइन व्यय भुगतान में₹1.94 लाख का भारी अन्तर-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया की मनरेगा योजना के अंतर्गत वितीय वर्ष **2016-17** में **(Online Financial Statements)** के अनुसार विभिन्न विकास कार्यों हेतु किए गए भुगतान की राशी बिल/वाउचर के अनुसार**ऑनलाइन रोकड़ बही** में दर्ज की गई व्यय की राशी से निम्नविवरणानुसार **₹1,94,000** अधिक पाई गई, जबकि इसके विपरीत वितीय वर्ष 2017-18 में **ऑनलाइन रोकड़ बही** में दर्ज व्यय भुगतान

की राशि ऑनलाइन फाइनेंसियल स्टेटमेंट्स के अनुसार दर्शाए गए व्यय भुगतान की राशि से ₹20027 अधिक पाई गई जिस बारे पूर्ण छानबीन करके वस्तु स्थिति स्पष्ट की जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए

वित्तीय वर्ष	**ऑनलाइन रोकड़ बही में दर्ज कुल व्यय भुगतान (₹)**	**ऑनलाइन फाइनेंसियल स्टेटमेंट के अनुसार कुल भुगतान (₹)**	**अन्तर (₹)**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4) [3-2]**
2016-17	14,26,233/-	16,20,233/-	**1,94,000/-**

(ii) वितीय वर्ष 2015-16 किये गए ₹5.71 लाख के ऑनलाइन व्यय भुगतान को रोकड़ बही में दर्ज न करना:-

वितीय वर्ष 2015-16 में मनरेगा योजना के अंतर्गत प्राप्त अनुदान व् खर्च की गई ₹571192 की राशि को रोकड़ बही में दर्ज नहीं किया गया, जबकि उक्त अवधि में सचिव ग्राम पंचायत द्वारा प्रदान की गई Online Financial Statements के अनुसार विभिन्न विकास कार्यो पर उक्त अवधि के दौरान ₹5,71,192 का Online व्यय भुगतान किया गया था। अतः उक्त प्राप्ति व् भुगतान रोकड़ बही में दर्ज न होने के कारण न तो इन्हें वितीय स्थिति में शामिल किया जा सका और न ही सम्बन्धित अभिलेख के साथ इसकी अंकेक्षण में सत्यापना सम्भव हो सकी जिसका पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा सम्बन्धित अभिलेख को पूर्णतः तैयार करके आगामी अंकेक्षण के दौरान सत्यापना हेतु प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए|

14 व्यय से सम्बन्धित अनियमितताएं:-

(i) सरकारी दिशा-निर्देशों के विपरीत सामग्री का क्रय करके ₹1.50 लाख का अनियमित व्यय:-

(क)चयनित माह 08/2015 के व्यय का अंकेक्षण करने के दौरान पाया गया की BRGF योजना के अन्तर्गत **पंचायत घर कोटी पधोग के निर्माण कार्य** को पूर्ण करने हेतु ₹150000 इमारती लकड़ी का क्रय सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार राज्य वन विभाग से न करके M/S CRM & Sons Dharampur से किया गया है जोकि हिमाचल प्रदेश सरकार ग्रामीण विकास एवम पंचायती राज विभाग द्वारा जारी तकनीकी मार्गदर्शिका (2011) के Chapter-II में उक्त सामग्री की खरीद हेतु निर्दिष्ट/दिए गए दिशा निर्देश 5(4) के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित है| अतः लकड़ी की खरीद को नियमानुसार वन विभाग से न करने का पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा उक्त खरीद पर सरकारी दर से अधिक व्यय की गई राशि की

उचित स्त्रोत से वसूली सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए |

(ख) उपरोक्त के अतिरिक्त उक्त विक्रेता से क्रय लकड़ी की **मात्रा/क्रय दर/श्रेणी (Quality/Grade)** का विवरण उनके द्वारा जारी इनवॉइस/बिल संख्या:144 दिनांक 15/08/2015 पर स्पष्ट रूप में नहीं दर्शाया गया है और न ही खरीदी गई सामग्री/लकड़ी की पंचायत के स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टि नहीं पाई/की गई है जोकि गम्भीर अनियमितता है जिसके कारण अधिक भुगतान एवं लकड़ी के द1र्विनियोजन की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता।

(ग) उक्त खरीद पर M/S CRM & Sons Dharampur द्वारा 13.75% की दर से ₹18,150 Vat लगाया गया है, जबकि विक्रेताद्वारा जारी इनवॉइस संख्या 144 पर फर्म का CST/GST/TIN No. अंकित नहीं पाया गया, जिसकी अनुपस्थिति में फर्म को Vat के रूप में किया गया₹18,150 का उचित प्रतीत नहीं होता। अतः इस सम्बन्ध में पूर्ण छानबीन करके अपेक्षित कार्यवाही सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ii). विक्रेता से उचित टैक्स इनवॉइस/बिल प्राप्त न करके केवल **GR {Goods Receipt Note} पर** ₹4.51 लाख का अनियमित भुगतानः—

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि विक्रेता से उचित टैक्स इनवॉइस/बिल पर सामग्री की खरीद न करके उनके द्वारा जारी GR नोट को पारित करके **परिशिष्ट—8** में दिए विवरण अनुसार ₹450600 की राशि का भुगतान किया गया था। अतः विक्रेता से उक्त भुगतान से सम्बन्धित उचित**Proper Tax Invoice/Bill** व भुगतान से सम्बन्धित अपेक्षित प्राप्ति रसीद नियमानुसार प्राप्त न करके केवल **Goods Receipts Note {GR}** पर दर्शाई गई खरीद अनियमित व् संदिग्ध प्रतीत होती है| जिसका पूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुए वर्णित अभिलेख आगामी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए

(iii). मजदूरी का सरकार द्वारा निर्धारित दरों से अधिक दरों पर ₹0.02 लाख का अधिक भुगतानः—

अंकेक्षण के दौरान पाया गया की चयनित माह **03/2017** में सामान्य निधि से निर्माण कार्य मुरम्मत सम्पर्क मार्ग धोगडा का मस्टर रोल संख्या 13790 द्वारा करवाए गए कार्य हेतु मजदूरी **₹1,575** का निम्नतालिकानुसार अधिक भुगतान किया गया था जिसे या तो नियमानुसार न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली सम्बन्धित उचित स्त्रोत से सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए:—

मजदूर/मिस्त्री का नाम	कुल कार्य दिवस	सरकार द्वारा निर्धारित दर (₹)	मजदूरी की भुगतान दर (₹)	अधिक भुगतान(₹)
1).भीम बहादुर (मजदूर)	18	200/-	220/-	360/-
2).मस्त राम (मजदूर)	18	200/-	220/-	360/-
3).नारदा (मजदूर)	18	200/-	220/-	360/-
4).आत्माराम (मजदूर)	18	200/-	220/-	360/-
5).परमानन्द (मिस्त्री)	15	321/-	330/-	135/-
उपरोक्त मस्टर रोल द्वारा मजदूरी का अधिक भुगतान				**1575/-**

15 बिना प्रयोजन के ₹0.74 लाख आहरण करना:–

अंकेक्षण के दौरान पाया गयाकि निम्नतालिकानुसार बैंक खाते से**₹175083** की राशि का आहरण किया गया था जिसमें से केवल **₹100923** का ही व्यय भुगतान रोकड़ बही में दर्ज पाया गया जबकि शेष **₹74160** का कोई भी ब्यौरा/विवरण रोकड़ बही में दर्ज नहीं पाया गया । जिसके कारण बिना प्रयोजन के वास्तविक व्यय भुगतान से अधिक आहरण ₹74160 का दुर्विनियोजन हुआ प्रतीत होता है, जिस बारे पूर्णछानबीन उपरान्त वस्तु स्थिति स्पष्ट की जाए, अन्यथा वर्णित अधिक आहरित राशि की उचित स्त्रोत से वसूली सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए |

दिनांक	चेक संख्या	बैंक से आहरित कुल राशि (₹)	रोकड़ बही में दर्ज कुल व्यय/भुगतान (₹)	व्यय से अधिक आहरण (₹)
27.05.15	586710	40000/-	24590/-	15410/-
26.05.16	510082	22333/-	19833/-	2500/-
07.04.17	304589	70750/-	49800/-	20950/-
02.11.17	------	20000/-	------	20000/-
08.01.18	414906	22000/-	6700/-	15300/-
कुल योग		**175083/-**	**100923/-**	**74160/-**

16 बजट प्राक्कलन तैयार न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें , संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा फार्म-11 मे पंचायत के आय व्यय प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा मे पारित करवाना अपेक्षित था।परन्तु सचिव द्वारा अपेक्षित कार्यवही नहीं की गई जिसके कारण पंचायत निधि से किया गया व्यय अनियमित है । अतः वर्णित अनियमितता के कारणों को स्पष्ट करते हुऐ इसे

सक्षम प्राधिकारी से नियमित करवाया जाए तथा **भविष्य मे नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित** करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

17 रसीद बुकों के उपयोग/रख-रखाव से सम्बन्धित अनियमितताएँ:-

(क) अंकेक्षण के दौरान पाया गया किपंचायत सचिव द्वारा रसीदों से सम्बन्धित **रसीद बुक स्टॉक रजिस्टर** का संधारण नहीं किया गया था जिससे ग्राम पंचायत को जिला पंचायत अधिकारी कार्यालय से प्राप्त तथा उसके नियमित उपयोग तथा स्टॉक में शेष बची रसीद बुक्स की सत्यापना अंकेक्षण में सम्भव न हो सकी। अतः उक्त अभिलेख को नियमानुसार तैयार न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाएतथा सम्बन्धित अभिलेख पूर्णतः तैयार कर आगामी अंकेक्षण में सत्यापना हेतु प्रस्तुत करना भी सुनिश्चित किया जाए |

(ख) रसीद बुकों की पड़ताल के दौरान पाया गया कि प्रत्येक रसीद बुक पर हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्‌ बजट, लेखों, संकर्म कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 5 (4) व (5) के अनुसार पंचायत सचिव तथा प्रधान्द्वारा रसीदों के पन्नों की गणना से सम्बन्धित प्रमाण पत्र अंकित नहीं किया गया था तथा अधिकतर रसीदें बिना तिथि तथा जारीकर्ता के हस्ताक्षर के पाई गई, और जारी रसीदों पर की गई कटटिंग्स तथा रद्द रसीदों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा सत्यापित भी नहीं किया गया था। अतः वर्णित अनियमितता का संज्ञान लेते हुए भविष्य में अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

18 विहित रजिस्टरों का रख रखाव न करना:-

हि माचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें , संकर्म ,कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 में निर्दिष्ट नियमो की अनुपालना करते हुए पंचायत द्वारा निम्नलिखित रजिस्टरों व्‌ अभिलेखों का रख रखाव नहीं किया गया जा रहा है , जोकि गम्भीर अनियमितता है | अतः नियमानुसार उक्त अभिलेख का रखरखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाये

1. अनुदानों का विनियोजन रजिस्टर |
2. रोकड़ बही तथा बैंक पास बुक में मिलान सारणी |
3. चल अचल संपत्ति का रजिस्टर |
4. आकस्मिक व्यय रजिस्टर |
5. अग्रिमों का रजिस्टर |
6. रसीद बुकों का स्टॉक रजिस्टर |
7. प्राक्कलन, तकनीकी स्वीकृति तथा प्रशासनिक अनुमोदन रजिस्टर |

8. मांग व् प्राप्ति रजिस्टर।
9. स्टेशनरी रजिस्टर।
10. निर्माण सामग्री स्टोर रजिस्टर।
11. मस्टर रोल्स इशू रजिस्टर।
12. इन्वेंटरी रजिस्टर।

19 प्रत्यक्ष सत्यापन:-

हि प्र० पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अंतर्गत पंचायत के भंडार का प्रत्येक 6 माह के अन्तराल पर **प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है, जिसकी अनुपालना नहीं की जा रही** थी जिसका पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

20 लघु आपत्ति विवरणिका:- इसे अलग से जारी नहीं किया गया तथा लघु आपत्तियों का स्थल पर ही निपटारा कर दिया गया था।

21 निष्कर्ष:- लेखों में सुधार की नितान्त आवश्यकता है।

हस्ता/—
(हेमराज भारद्वाज)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009
फोन नं0 0177—2620881

पृष्ठांकन संख्याः— फिन (एल0ए0) एच (पंच) (15)(X)33/2018 खण्ड—1—5990—5993 दिनांक—11.09.18
शिमला—09

प्रतिलिपिः— निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

पंजीकृत 1 सचिव, ग्राम पंचायत कोटी पधोग, विकास खण्ड राजगढ, जिला सिरमौर (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उतर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

2 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला—171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

3 जिला पंचायत अधिकारी, सिरमौर स्थित नाहन, जिला सिरमौर हि0प्र0

4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड राजगढ़, जिला सिरमौर हि0प्र0

हस्ता/—
(हेमराज भारद्वाज)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009
फोन नं0 0177—2620881